कार्यालय रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां,राजस्थान, जयपुर

जे.आर.(बी.)प्र.कार्या0जयपुर फैक्स नं.0141–2740466

कमांक फा.15(43)सविरा / बैंक–1 / सेवानियम अर. / वेतनमान / 2016 दिनांकः 28-10-2016

आदेश

राज्य के अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों / नागरिक सहकारी बैंकों के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतनमान आदेश दिनांक 07 / 10.10.11 की समयावधि दिनांक 30.06.2015 को समाप्त हो जाने के कारण नये वेतनमान आदेश जारी किये जाने आवश्यक है।

इस संबंध में नये वेतनमान निर्धारण हेतु अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करने के उपरान्त राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 39 के अन्तर्गत जारी "अरबन को–ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज सर्विस रूल्स, 2006"' के नियम 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार नये वेतनमान व अन्य भत्ते लागू किये जाते है। नये वेतनमान व भत्तों की अवधि 01.07.2015 से 30.06.2020 तक निर्धारित की जाती है।

ऐसे अरबन को–ऑपरेटिव बैंक / नागरिक सहकारी बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशाधीन (Under Direction) हो, वे नये वेतनमान हेतु पात्र नहीं होगे। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कमजोर बैंकों की तृतीय व चतुर्थ ग्रेड में वर्गीकृत बैंकों के अधिकारी / कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्तों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। रिजर्व बैंक के निर्देशाधीन (Under Direction) तथा कमजोर बैंक की श्रेणी से निकलने के पश्चात ही उन्हे निर्धारित मापदण्डानुसार नये वेतनमान दिये जा सकेगे। राज्य के अन्य सभी अरबन को–ऑपरेटिव बैंक / नागरिक सहकारी बैंक, जो निम्नलिखित मापदण्ड पूर्ण करते हों, नये वेतनमान व भत्ते लागू कर सकेगे :–

1. स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और नये वेतनमान लागू करने के पश्चात भी इसी सीमा से रहें।
2. 31 मार्च, 2015 को सीआरएआर 12 प्रतिशत से कम नहीं हो।
3. 31 मार्च, 2015 को नेट एन.पी.ए. 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
4. गत तीन वर्षो से बैंक लगातार लाभ अर्जित कर रहा हो।
5. बैंक स्थापना से 5 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो।
6. बैंक का रिजर्व बैंक का लाईसेन्स प्राप्त हों।

संबंधित बैंक संचालक मंडल इस आश्य का प्रस्ताव पारित करेगे कि बैंक द्वारा ऊपर निर्धारित मापदण्ड पूर्ण किये गये है एवं बैंक नवीन वेतनमान लागे करने की पात्रता रखता है। नये

वेतनमान एवं भत्तों का 1.07.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि का एरियर नकद भुगतान करने अथवा नहीं करने या किश्तों में करने के संबंध में बैंक संचालक मंडल, बैंक की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर अपने स्तर से निर्णय कर प्रस्ताव पारित करेंगे। वेतन एरियर परिलाभ के अतिरिक्त अन्य देय लाभ समझौते की तिथि से देय होंगे। दिनांक 01.04.2016 से आगे की अवधि के ऐरियर का नकद भुगतान किया जावेगा।

इन वेतनमानों, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत उत्पन्न किसी भी विवाद पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार (नवीन वेतनमान विवरण)

(डॉ. रेखा गुप्ता)
रजिस्ट्रार

कमांक फा.15(43)सविरा/बैंक–1/सेवानियम अर./वेतनमान/2016 दिनांकः 28-10-16

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी विभाग, राजस्थान, सरकार जयपुर।
5. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, ... (समस्त)।
6. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, ... (समस्त)।
7. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, ...(समस्त)।
8. उप महाप्रबन्धक, (शहरी बैंकिग विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, जयपुर।
9. अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दी राज. अरबन बैंक्स फैडरेशन लि., बी–41 गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
10. अध्यक्ष/प्रबन्ध संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अरबन/नागरिक को–ऑपरेटिव बैंक लि., ... महिला अरबन/नागरिक सहकारी बैंक लि. .... (समस्त)।
11. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राज., जयपुर।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

राज्य के अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों / नागरिक सहकारी बैंकों के अधिकारियों / कर्मचारियों के नवीन वेतनमान (अवधि – 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी– 30 जून, 2020 तक)

1. मूल वेतनमान
राज्य के अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के वर्तमान मूल वेतनमानों में जयपुर उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001) जो जून, 2015 में 243 है, में से कुल 200 मूल्य सूचकांकों को मूल वेतन में विलीन किया जाता है। वर्ष 1982 आधार वर्ष के अनुसार 625 सूचकांक पूर्व में ही मूल वेतन में विलीन किये जा चुके हैं। अब 1–7–2015 से प्रभावी नवीन आदेशों के अंतर्गत 225 सूचकांक का, जिन पर 33.75 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय है, को मूल वेतनमानों में विलीन किया जाकर 11 प्रतिशत वृद्धि करते हुए नवीन वेतनमान बनाये गये हैं।

तदनुसार 1 जुलाई, 2015 से संशोधित वेतनमान निम्नानुसार होंगे:–

क0 सं0	वर्तमान वेतनमान	नवीन वेतनमान
1	ए–ग्रेड 27000–1200(4)–31800–1300(4)–37000–1400(4)–42600–1500(4)–48600	40000–1800(4)–47200–1950(4)–55000–2100(4)–63400–2250(4)–72400
2	बी–ग्रेड 23000–1000(6)–29000–1100(6)–35600–1200(5)–41600–1300(2)–44200	34200–1500(6)–43200–1650(6)–53100–1800(5)–62100–1950(2)–66000
3	सी–ग्रेड 16300–800(2)–17900–900(6)–23300–1000(9)–32300–1100(4)–36700	24200–1200(2)–26600–1350(6)–34700–1500(9)–48200–1650(4)–54800
4	डी–ग्रेड 14000–700(3)–16100–800(4)–19300–900(8)–26500–1000(6)–32500–1050(2)–34600	21000–1050(3)–24150–1200(4)–28950–1350(8)–39750–1500(6)–48750–1600(2)–51950
5	लिपिक वर्ग 7600–400(7)–10400–500(5)–12900–600(2)–14100–700(3)–16200–800(4)–19400–900(7)–25700–950(4)–29500	11300–600(7)–15500–750(5)–19250–900(2)–21050–1050(3)–24200–1200(4)–29000–1350(7)–38450–1400(4)–44050
6	च0श्रे0कर्मचारी वर्ग 6500–200(12)–8900–250(10)–11400–300(5)–12900–350(5)–14650–400(4)–16250	9700–300(12)–13300–400(10)–17300–450(5)–19550–550(5)–22300–600(4)–24700

वेतनमान संबंधित अन्य प्रावधान पूर्ववत ही रहेंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधित प्रावधान पूर्वानुसार यथावत रहेंगे।

2. पुनर्निर्धारित वेतनमानों में स्थिरीकरण
बैंकों के अधिकारियो / कर्मचारियों का दिनांक 30 जून, 2015 के मूल वेतन पर नव सृजित वेतनमानों में निम्न तालिकाओं के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 2015 को मूल वेतन स्थिरीकरण किया जावेगा। ये तालिकाएं केवल वेतन स्थिरीकरण के लिये बनाई गई हैं, अन्य किसी उद्देश्य के लिये इनका प्रयोग नहीं होगा –

'ए' ग्रेड		'बी' ग्रेड		'सी' ग्रेड	
वर्तमान	नवीन	वर्तमान	नवीन	वर्तमान	नवीन
27000	40000	23000	34200	16300	24200
28200	41800	24000	35700	17100	25400
29400	43600	25000	37200	17900	26600
30600	45400	26000	38700	18800	27950
31800	47200	27000	40200	19700	29300

33100	49150	28000	41700	20600	30650
34400	51100	29000	43200	21500	32000
35700	53050	30100	44850	22400	33350
37000	55000	31200	46500	23300	34700
38400	57100	32300	48150	24300	36200
39800	59200	33400	49800	25300	37700
41200	61300	34500	51450	26300	39200
42600	63400	35600	53100	27300	40700
44100	65650	36800	54900	28300	42200
45600	67900	38000	56700	29300	43700
47100	70150	39200	58500	30300	45200
48600	72400	40400	60300	31300	46700
		41600	62100	32300	48200
		42900	64050	33400	49850
		44200	66000	34500	51500
				35600	53150
				36700	54800

डी ग्रेड		लिपिक वर्ग		च0 श्रे0 कर्मचारी वर्ग	
वर्तमान	नवीन	वर्तमान	नवीन	वर्तमान	नवीन
14000	21000	7600	11300	6500	9700
14700	22050	8000	11900	6700	10000
15400	23100	8400	12500	6900	10300
16100	24150	8800	13100	7100	10600
16900	25350	9200	13700	7300	10900
17700	26550	9600	14300	7500	11200
18500	27750	10000	14900	7700	11500
19300	28950	10400	15500	7900	11800
20200	30300	10900	16250	8100	12100
21100	31650	11400	17000	8300	12400
22000	33000	11900	17750	8500	12700
22900	34350	12400	18500	8700	13000
23800	35700	12900	19250	8900	13300
24700	37050	13500	20150	9150	13700
25600	38400	14100	21050	9400	14100
26500	39750	14800	22100	9650	14500
27500	41250	15500	23150	9900	14900
28500	42750	16200	24200	10150	15300
29500	44250	17000	25400	10400	15700
30500	45750	17800	26600	10650	16100
31500	47250	18600	27800	10900	16500
32500	48750	19400	29000	11150	16900
33550	50350	20300	30350	11400	17300
34600	51950	21200	31700	11700	17750
		22100	33050	12000	18200
		23000	34400	12300	18650
		23900	35750	12600	19100
		24800	37100	12900	19550
		25700	38450	13250	20100
		26650	39850	13600	20650
		27600	41250	13950	21200
		28550	42650	14300	21750
		29500	44050	14650	22300
				15050	22900

					15450	**23500**
					15850	**24100**
					16250	**24700**

वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक पूर्ववत ही रहेगी किन्तु यदि नवीन वेतनमान में स्थिरीकरण के परिणामस्वरूप या उसके पश्चात् वेतन वृद्धि प्राप्त करने पर कनिष्ठ अधिकारी/ कर्मचारी का मूल वेतन वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी से अधिक हो जाता है तो वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी को भी कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी के प्राप्त वेतन वृद्धि की दिनांक को वेतन वृद्धि दी जाकर उसे कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी के समकक्ष लाया जावेगा एवं भविष्य में वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी की वेतन वृद्धि बदल कर उक्त दिनांक हो जावेगी।

3. <u>अतिरिक्त वेतन वृद्धि</u>

31 मार्च, 2015 को रूपये 450 करोड़ से अधिक व्यवसाय (अमानतें + ऋण बकाया) वाले बैंकों के प्रबन्धन, अपने स्टाफ को उपरोक्तानुसार नवीन वेतनमानों में फिक्सेशन के पश्चात् दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि दे सकेंगे। जिन बैंकों में यह सुविधा प्रदान की जावेगी वहां पैरा 1 एवं 2 में वर्णित वेतनमान श्रंखला में, वेतन श्रंखला समाप्ति पश्चात् अंतिम वार्षिक वेतन वृद्धि के समकक्ष दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी जाकर संशोधित ग्रेड बनाई जावेगी।

4. <u>स्टेगनेशन वेतन वृद्धि</u>

वेतनमान की अंतिम स्टेज पर पहुंचने के प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक स्टेगनेशन वेतन वृद्धि जो वेतन श्रंखला की अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर होगी, दी जा सकेगी। इस प्रकार की स्टेगनेशन वेतन वृद्धि विशेष योग्यता धारक को देय वेतन वृद्धि सहित 4 से अधिक नहीं होगी।

5. <u>अधिकारी वर्ग के स्वीकृत पद व ग्रेड</u>

पूर्व में जारी आदेशों में कार्यशील पूंजी के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण करते हुए अधिकारियों की ग्रेड बाबत पद स्वीकृत किये गये थे जिन पर विचारोपरांत कार्यशील पूंजी के बजाय 31 मार्च, 2015 को बैंकों के व्यवसाय (अमानतें व ऋण बकाया) के आधार पर वर्गीकरण करते हुए अधिकारी वर्ग के ग्रेड निम्न प्रकार लागू किये जाते हैं:-

क.सं.	व्यवसाय	ग्रेड अधिकारी वर्ग
1	रूपये 250 करोड़ से अधिक	ग्रेड ए/बी/सी/डी
2	रूपये 100 से 250 करोड़ के मध्य	ग्रेड बी/सी/डी
3	रूपये 100 करोड़ से कम	ग्रेड सी/डी

वर्तमान स्वीकृत पदों पर उपरोक्त वर्गीकरण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। कमेटी के सदस्यों की राय रही कि किसी भी बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर श्रेणी का व्यवसाय प्राप्त कर लिये जाने पर संस्था की ऑडिट उपरांत आगामी वर्ष से उपरोक्तानुसार ग्रेड दिये जाने के लिये संचालक मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

6. <u>मंहगाई भत्ता</u>

इन बैंकों में अभी तक जयपुर उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ता देय था। राज्य के अन्य सहकारी बैंकों में ऑल इण्डिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है अतएव एक समान नीति को ध्यान में रखते हुए अब अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों में भी आल इण्डिया थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ते का निर्धारण उचित समझा गया है। इस मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष 1960) के 5010 मूल्य सूचकांकों पर कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। इसके पश्चात् शेष रहे सूचकांकों पर प्रत्येक चार पाइण्ट सूचकांक पर आ रहे पूर्ण स्लैब पर 0.0928 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होगा। तदनुसार माह जुलाई, 2015 से मंहगाई भत्ते की गणना आल इण्डिया सूचकांक के आधार पर निम्नानुसार होगी-

माह	आल इण्डिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– 1982
अप्रेल, 2015	1185
मई, 2015	1195
जून, 2015	1208
औसत –	1196
आधार वर्ष 1960 के अनुसार	1196 x 4.93 = 5896
आधार वर्ष 1960 के ऑल इण्डिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिस पर मंहगाई भत्ता देय नहीं है	5010
शेष सूचकांक जिस पर मंहगाई भत्ता देय है माह जुलाई, 15 से सितम्बर, 2015 की अवधि में	5896 – 5010 = 886 886 / 4 = 221 पूर्ण स्लैब 221 x 0.0928 = 20.50 प्रतिशत

7. <u>मकान किराया भत्ता</u>

1 जुलाई, 2015 से मकान किराया भत्ते की राशि सम्भागीय मुख्यालयों पर नियोजित अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु मूल वेतन की 10 प्रतिशत व अन्य स्थानों के लिये 8 प्रतिशत की दर से देय होगी।

8. <u>शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता</u>

शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता राज्य सरकार के अनुरूप देय होगा।

9. <u>विशेष शैक्षणिक योग्यता पर वेतन वृद्धि</u>

निम्नांकित वर्णित शैक्षणिक योग्यता धारकों को विशेष वेतन वृद्धियां निम्नानुसार देय होंगी:–

1	सीएआईआईबी पार्ट प्रथम / जेएआईआईबी	एक वेतन वृद्धि
2	सीएआईआईबी पार्ट द्वितीय / सीएआईआईबी	दो वेतन वृद्धि
3	एमसीए / एमटेक(कम्प्यूटर साइंस) / एमएससी.(आईटी) / सीए / आईसीएमए / सीएस	दो वेतन वृद्धि

क. सं. 3 पर अंकित शैक्षणिक योग्यता धारक यदि कोई अभ्यर्थी बैंक ज्वाईन करता है तो उसे भी ज्वाईनिंग के साथ ही उपरोक्तानुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है।

सीएआईआईबी / सीएआईआईबी पार्ट द्वितीय पर पूर्व में यदि किसी को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है तो उसे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा।

10. <u>वाहन व्यय पुनर्भुगतान</u>

बैंकों में कार्यरत स्टाफ को अमानत संग्रहण, ऋण व्यवसाय में बढ़ोतरी एवं अन्य कई कार्यों से निजी वाहन से यात्रा करने हेतु बैंक प्रबन्धन सक्षमता, बैंक के लाभों के मध्येनजर बैंक द्वारा जारी आदेश तिथि से निम्नानुसार मासिक राशि दे सकेगा:–

क.सं.	पद	राशि
1	प्रबन्ध निदेशक	2000
2	ग्रेड–बी	1500
3	ग्रेड–सी	1200
4	ग्रेड–डी	800
5	कैशियर / लिपिक / बैंकिंग सहायक	400
6	सहायक कर्मचारी	250

यह सुविधा बैंक के संचालक मण्डल द्वारा विशेष रूप से प्रस्ताव पारित कर बैंक की आर्थिक स्थिति व प्रबन्धकीय लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जावेगी। यदि किसी बैंक में उपरोक्त सुविधा स्टाफ को पूर्व में ही देय है, तथा वह अधिक है तो वह यथावत रहेगी।

11. <u>विशेष भत्ता</u>

कैशियर व साईकिल सवार को निम्न प्रकार अधिकतम विशेष भत्ते दिये जाने की सिफारिश की गई–

1. रोकड़िया — रू. 500/– प्रति माह
2. साईकिल सवार — रू. 250/– प्रति माह

जिन बैंकों में टेलर व्यवस्था लागू है, वहां टेलर को 800/– प्रति माह देय होगा।

12. <u>चिकित्सा भत्ता</u>

समस्त वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को 500/– प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा।

13. <u>यात्रा भत्ता नियम</u>

विराम भत्ते व होटल चार्जेज निम्नानुसार देय होंगेः–

1. जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की श्रेणियों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता हैः–

   1.1 प्रथम श्रेणी – अध्यक्ष/संचालक मण्डल सदस्य तथा ए, बी ग्रेड अधिकारी।
   1.2 द्वितीय श्रेणी– सी, डी ग्रेड अधिकारी
   1.3 तृतीय श्रेणी – लिपिक वर्ग
   1.4 चतुर्थ श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2. उक्त श्रेणियों के लिये निम्नानुसार विराम भत्ते एवं होटल चार्जेज देय होंगेः–

   (अ) विराम भत्ते

श्रेणी	राज्य के अंदर, जयपुर के अतिरिक्त	जयपुर व राज्य के बाहर	मेट्रोपोलिटन शहर/ अन्य राज्यों की राजधानी
प्रथम	200	250	400
द्वितीय	180	200	350
तृतीय	150	180	250
चतुर्थ	125	150	200

   (ब) होटल चार्जेज

श्रेणी	राज्य के अंदर, जयपुर के अतिरिक्त	जयपुर व राज्य के बाहर	मेट्रोपोलिटन शहर/ अन्य राज्यों की राजधानी
प्रथम	1000	2500	3000
द्वितीय	750	2000	2500
तृतीय	500	1500	2000
चतुर्थ	400	1200	1500

   नोट – कान्फ्रेन्स, मीटिंग आदि के समय पूर्व नियोजित होटल विशेष में रूकने की दशा में वास्तविक चार्जेज दिये जावेंगे।

3. <u>इन्सीडेण्टल चार्जेज</u>

   प्रथम व द्वितीय श्रेणी – 10 पैसा प्रति किलोमीटर
   तीसरी श्रेणी – 8 पैसा प्रति किलोमीटर
   चतुर्थ श्रेणी – 8 पैसा प्रति किलोमीटर

4. <u>यात्रा पात्रता निम्न प्रकार से होगी</u>

(ललित मीणा)
सहा. रजि. (बैंकिंग) पू.डी.

(अ)

श्रेणी	पात्रता
प्रथम	एयर इकानामिक / टू–टायर ए.सी.
द्वितीय	थ्री–टायर ए.सी.
तृतीय व चतुर्थ	द्वितीय श्रेणी

(ब) प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा अपने निजी वाहन से यात्रा करने पर राजकीय नियमानुसार प्रति किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा।

(स) बैंक कार्य हेतु स्थानीय यात्रा पर गन्तव्य स्थल तक पहुंचने व वापसी हेतु वास्तविक टैक्स चार्जेज का पुनर्भरण होगा।

14. नवगठित बैंकों में देय समेकित वेतन

नवगठित बैंकों द्वारा स्थापना के न्यूनतम 5 वर्ष पूर्ण करने की अवधि तक संशोधित समेकित वेतन निम्नानुसार देय होंगे जिन पर अन्य प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे–

क.सं.	पदनाम	वर्तमान देय राशि (रूपये प्रति माह)	नवीन प्रावधान अनुसार देय राशि (प्रति माह)
1	वरिष्ठ प्रबन्धक (सी ग्रेड)	11500/–	20000/–
2	प्रबन्धक (डी ग्रेड)	9000/–	15000/–
3	बैंकिंग सहायक/ कम्प्यूटर ऑपरेटिर	5500/–	9500/–
4	सहा0 कर्मचारी	4650/–	7500/–
5	ड्राईवर	5000/–	8500/–

कार्यरत बैंकों द्वारा नवीन शाखाओं के लिये भी उपरोक्तानुसार अनुबंध आधार पर नियुक्ति दिये जाने के लिये संबंधित बैंक के संचालक मण्डल अधिकृत होंगे।

15. सेवानिवृत अधिकारियों को एकमुश्त मासिक वेतन

सहकारी बैंकों से सेवानिवृत अधिकारियों को पेन्शन प्राप्त नहीं होती है। आई.टी. क्षेत्र में हो रहे निरंतर बदलावों एवं इसकी महती भूमिका के मध्येनजर तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उनका एकमुश्त मासिक वेतन निर्धारित करने का अधिकार बैंक के संचालक मण्डल को होगा जिसकी अधिकतम सीमा अग्रानुसार होगी–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / महाप्रबन्धक / आई.टी.हैड	–	रू. 50000/– मासिक
वरिष्ठ प्रबन्धक / प्रबन्धक / अधिकारीवर्ग	–	रू. 25000/– मासिक
लिपिक / बैंकिंग सहायक श्रेणी	–	रू. 12500/– मासिक

16. पूर्व प्रावधानों की यथावतता

उपरोक्त के अलावा अन्य सुविधाएं एवं लाभ जिनके बारे में कोई परिवर्तन / संशोधन नहीं किया गया है, वे पूर्व आदेशों के अनुरूप यथावत रहेंगे।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर

(ललित मीणा)
सहा. ... (बैंकिंग) मु.